1.50

वन भूमि की मांग का औचित्य

परियोजना का नाम :– **माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 229/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में गनियाद्योली–विशालकोट मोटर मार्ग का ग्राम टाना तरस्वार कोठिया डौनी होते हुए विशालकोट की ओर 3 किमी. मोटर मार्ग।(3.00किमी.)(0.900है0)**

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 1835/III(2)/15–03(मा.मु.घो.)/2015 दिनांक 19.03.2015 के द्वारा 3.00 किमी. लम्बाई हेतु ₹ 28.72 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। **यह मोटर मार्ग विकास खण्ड ताड़ीखेत के अन्तर्गत पड़ता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामसभा तरस्वाड़, कोठिया, खग्यार आदि ग्रामीणों की जनता को सीधे लाभ मिलते हुए आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ भी मिलेगा** साथ ही जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय रानीखेत से सीधे यातायात से जुड़ने की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त होगा व पलायन की कमी के साथ–साथ पयर्टन को भी बढावा मिलेगा। इस हेतु सिविल सोयम भूमि 0.450हैं0 व वन पंचायत भूमि 0.450है0 इस प्रकार कुल 0.900है0 वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। चूँकि यह मार्ग आबादी भाग में नाप भूमि से गुजरता हुआ दूसरे ग्रामों को जोड़े जाने हेतु उस मध्य पड़ने वाली वन भूमि से मार्ग को ले जाना ही एकमात्र विकल्प है, जिस हेतु समरेखण के अन्तर्गत वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

कनिष्ठ अभियन्ता	*सहायक अभियन्ता,*	*अधिशासी अभियन्ता,*
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,	*प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,*	*प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,*
रानीखेत	*रानीखेत*	*रानीखेत*